संख्या14/2020/2027/86-2019-57(सा0)/2017

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ, दिनांक : 30 अगस्त, 2019

विषय- भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिली जुली अवस्था मे हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश सं0-2883/86-2017-198/2011टीसी-1, दिनांक 02 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-52क में कृषि भूमि के भूमिधर द्वारा भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम को हटाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। अधिसूचना सं0-1868/ 86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली-2019 का नियम-52क निम्नवत् हैः-

52क- कृषिकीय भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रियाः-

(1) नियम-72 में किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाने के लिये खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में रू0-2000/-(रूपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, में आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी/खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जाँच करा सकता है -

(क) क्या बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, आवेदित भूमि पर बाढ़ के कारण जमा हुए हैं,

(ख) क्या आवेदक/आवेदकों का/के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है/है,

(ग) क्या बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हों के जमाव के कारण आवेदक/आवेदकगण आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहा/रहे हैं,

(घ) क्या ऐसी भूमि विगत 05 वर्षो में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी,

(ड.) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है,

(च) क्या खनन अनुज्ञा पत्र का आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त है?

(3) ऊपर उल्लिखित तहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसाकि अभिप्रेत हो, कि बिन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी एक फसली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की दो गुनी धनराशि को अग्रिम रूप में जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर सकता है।

(4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध, इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि भूमिधर कृषकों को अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी, जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु प्रश्गनत नियमावली के उपरिलिखित प्राविधानों और उपखनिजों के परिवहन आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अद्यतन निर्देषों के अनुसार अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या- 2027(1)/86-2019-57(सा0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-799/एम-1ए 15/2019 (VII) दिनांक 19.08.2019 के संदर्भ में।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ)।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in